11/8/26

11/8/26 परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। उक्त परिवाद एवं आवश्यक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवाद सही रहा है। परिवादी व उसके अधिवक्ता को इस समय प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये यह परिवाद धारा 175(3) BNSS के तहत पुलिस थाना रामपुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे परिवादी के परिवाद पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करते हुए शीघ्र कार्यालय ने पेश करें। आदेश सुनाया गया।

डॉ. लाल

11/8/26

न्यायाधीश
विशिष्ट न्यायालय
अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण, बून्दी (राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner